

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

01-थाना अजीमनगर:-दहेज हत्या में पति गिरफ्तार
वादी श्री मौ0 इरफान पुत्र श्री सुलेमान नि0 सनईया अहमद थाना भोट जनपद रामपुर की पुत्री रफत जहाँ की शादी करीब 04 साल पहले अकबर अली के साथ हुई थी। शादी के उपरान्त उसकी पुत्री रफत जहाँ के ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताडित करते हुए, दहेज में एक कार व 05 लाख रूपये की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर श्रीमती रफत जहाँ के ससुराल के लोगों द्वारा दिनांक 03-02-2021 को उसका गला दबाकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बंध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0-36/21 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम अकबर अली उर्फ बबू (पति) उम्र 34 वर्ष आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 06-02-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त अकबर अली उर्फ बबू पुत्र नामे अली निवासी ग्राम देवरनिया शुमाली थाना अजीमनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

02-थाना सिविल लाइन:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-
दिनांक 06-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभि0 अनमोल कश्यप पुत्र सुनील कुमार कश्यप निवासी सरायगेट थाना कोतवाली, रामपुर को रजा टैक्सटाईल से तथा गुड्डू रावत पुत्र रमेश रावत निवासी गंगापुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को एलआईसी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अनमोल कश्यप थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-01/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में तथा अभियुक्त गुड्डू रावत मु0अ0सं0-02/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में दिनांक 01-01-2021 से वांछित चल रहे थे।

03-थाना मिलकखानम:-लोमोटिल कम्पनी की 312 नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 06-02-2021 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा रविन्द्र सिंह उर्फ रवि पुत्र बलदेव सिंह निवासी ग्राम टाहकला थाना मिलकखानम, रामपुर को ग्राम पदमपुर रोड से ग्राम टाहकला को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लोमोटिल कम्पनी की 312 नशीली गोलियां बरामद हुईं। इस सम्बंध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0-22/2021 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04-थाना सिविल लाइन:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 06-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त धर्मजीत सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी सीओडी कॉलोनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

05-थाना मिलक:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 06-02-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजू पुत्र मंगोली निवासी ग्राम क्योरार थाना मिलक, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

06-थाना केमरी:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 06-02-2021 को थाना केमरी, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त शब्बन पुत्र रहीस निवासी ग्राम भटपुरा तारन थाना केमरी, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में एंटी रोमियों स्क्वाड द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जा रहा है जागरूक

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06-02-2021 को प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड, रामपुर सुश्री कंचन टोलिया मय टीम द्वारा नगर क्षेत्र के भीड-भाड वाले स्थानों, स्कूलों में तथा थानों पर गठित एंटी रोमियों टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बों, मौहल्लों, गांवों, स्कूलों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वूमेन पावर लाइन-1090, समस्त थानों पर बनी हुई महिला हेल्प डेस्क, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर-181, यू.पी.-112 के बारे में जानकारी दी जा रही है

महिला थाना, रामपुर में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में 05 परिवारों का पुनः घर बसाया गया

आज दिनांक 06-02-2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार महिला थाना, रामपुर में परिवार परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया जिसमें पति-पत्नी के विवादों में काउंसलिंग करायी गयी। काउंसलिंग में कुल 34 प्रकरण समिति द्वारा सुने गये, जिनमें से 05 प्रकरणों का निस्तारण, 05 प्रकरणों में समझौता कराकर पुनः घर बसाया गया, 03 प्रकरणों में मुकदमें की संस्तुति की गयी तथा 21 प्रकरणों में अग्रिम तिथि नियत करके समझौते का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान रीना सिंह प्रभारी निरीक्षक महिला थाना रामपुर, डा0 शहनाज रहमान, श्री फजल शाह आदि मौजूद रहे।